बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5132456 / ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2025 पटना, दिनांक 30/01/2026

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4425 के तहत "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन के उपरान्त उपलब्ध राशि रू0 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5125502 दिनांक-29.01.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5125502 दिनांक-29.01.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अंश पूंजी (Share Capital), अनुदान एवं स्थापना व्यय के लिए मांग सं0-42 के अंतर्गत कुल संशोधित बजट उपबंध राशि रू0 35500.00 लाख (तीन अरब पचपन करोड़) में से मुख्य शीर्ष-4425 अंतर्गत अंश पूंजी (Share Capital) हेतु राशि रू0 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि रू0 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) का आवंटन जीविका को किया जाना है ।

2. उक्त के आलोक में राशि रू0 रू0 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) को निम्नवत् आवंटित किया जाता है:-

(राशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष-4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष- 00 लघु शीर्ष-107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष-0101-बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लि0, विपत्र कोड-42-4425001070101 विस्तृत शीर्ष- 54-निवेश वस्तुगत शीर्ष-01- निवेश ।	10000.00
	कुल :-	10000.00 लाख (एक सौ करोड़)

3. आवंटित राशि की निकासी विभागीय मांग सं0-42 के अंतर्गत उपरोक्त कंडिका-2 में अंकित सारणी के स्तभ-2 में वर्णित बजट शीर्षो के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय है ।

4. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें तथा राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गयी राशि "बिहार राज्य जीविका

निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" Axis Bank Ltd. Patna, Account No.-925010038028923, IFSC Code- UTIB0000142, प्रधान शाखा (एस.पी.वर्मा रोड, पटना) के बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे ।

5. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

30.1.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5/32456 पटना, दिनांक 30/01/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.1.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5/32456 पटना, दिनांक 30/01/2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.1.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5/32456 पटना, दिनांक 30/01/2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS–सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / आई0टी0मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) /विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.1.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5/32456 पटना, दिनांक 30/01/2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

30.1.26

सरकार के अपर सचिव